अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

☎ : 0141-2385027(O), Fax: 0141-2385027
E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांकःएफ.4( )परावि / आप्र / GPDP / 2019–20 / 955 जयपुर, दिनांकः 20/09/2018

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति –समस्त।

विषयः–जन योजना अभियान (People's Plan Campaign for Participatory and Comprehensive Gram Panchayat Development Plan, GPDP 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018) के सम्बन्ध में 01 अक्टूबर, 2018 को ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने के सम्बन्ध में।

जन योजना अभियान (People's Plan Campaign for Participatory and Comprehensive Gram Panchayat Development Plan, GPDP) 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 के संबंध में कृपया दिनांक 01.10.2018 को पंचायत समिति स्तर पर कार्यशाला आयोजित करें जिसमें समस्त सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी तथा सहजकर्ताओं (राजीविका ब्लॉक में राजीविका द्वारा नियुक्त एवं अन्य में विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त) को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जावे तथा उन्हें उक्त अभियान के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया जावे। उक्त कार्यशालाओं में विभागों के पंचायत समिति स्तरीय अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जावे।

कृपया अपनी पंचायत समिति में उपरोक्त प्रयोजनार्थ ग्राम सभा का कैलेण्डर भी निर्धारित कर विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, कृषि / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / तकनीकी शिक्षा / स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा / महिला एवं बाल विकास / पशुपालन / वन / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी / ऊर्जा / उद्योग / सार्वजनिक निर्माण / जन संसाधन / खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को उक्त कार्यशाला में भाग लेने हेतु तथा ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों / कर्मचारियों को ग्राम सभा में भाग लेने हेतु निर्देशित करें।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
5. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना प्रकोष्ठ, जिला–समस्त।

शासन सचिव एवं आयुक्त